प्रपत्र–1.1 (प्रतिवदन)

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली -- अखोड़ी मोटर मार्ग कि0मी0 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 34.00 किमी0) के नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया हैं। प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2154/X1/14/56 (08) 2014 दिनांक 09.09.2016 एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की पत्रांक संख्या 5679/पी3–14 (Hab)/यू0आर0आर0डी0ए0/16 दिनांक 16.10.2016 द्वारा प्राप्त है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट हड़ियाणा तल्ला की आवादी 307 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

ग्राम–सभा हड़ियाणा तल्ला जनपद टिहरी गढ़वाल बहुत ही दुर्गम ग्राम है। जिसकी जिला मुख्यालय से रोड हेड हुलानाखाल तक दूरी 100 कि0मी0, विकास खण्ड मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय घनसाली से दूरी 35 कि0मी0 एवं रोड हेड हुलानाखाल से ग्राम हड़ियाणा तल्ला पैदल सम्पर्क मार्ग की दूरी 3.00 कि0 मी0 है। ग्राम हड़ियाणा तल्ला के चारों और से आरक्षित वनभूमि है, जिस कारण आरक्षित वनभूमि के अन्तर्गत ही मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव है, जिसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है।

इस मार्ग के संरेखण में 1.080 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.700 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0 हे0 वन पंचायत भूमि, 1.440 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित एवं सिविल वन भूमि 1.780 हे0 जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षो की गणना 9.00 मीटर मे की गई है जो की वास्तविक रुप से पातन किये जाने है। मोटर मार्ग का र्निमाण 6.00 मीटर मे होना प्रस्तावित है एवं भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव 7.00 मीटर चौड़ाई मे बनाया गया है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

समरेखण नं0 1 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड–भिलगना, तहसील घनसाली के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली – अखोड़ी मोटर मार्ग कि0मी0 14 हुलानाखाल से प्रारम्भ होता है। समरेखण– 01 हुलानाखाल से प्रारम्भ होता है जो आरक्षित वनभूमि टिहरी वन प्रभाग के अन्तर्गत आता है। इस समरेखण में मार्ग की 1400 मी0 लम्बाई आरक्षित वनभूमि टिहरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 1000 मी0 लम्बाई सिविल सोयम भूमि उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत एवं 1000 मी0 लम्बाई नाप भूमि ग्राम हड़ियाणा तल्ला के अन्तर्गत आती है। इस समरेखण में 4 हेयर पिन बैण्ड एवं 1नं0 आर0सी0सी0 कलवर्ट तथा 1नं0 आर0सी0सी0 माइनर ब्रीज प्रस्तावित हैं। इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में 115 वृक्ष प्रभावित होते है, तकनिकी एवं भू–वैज्ञानिक दृष्टि से यह समरेखण उपयुक्त पाया गया है एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस समरेखण में अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी, भूमिधर एवं जन प्रतिनिधि सहमत है।

समरेखण नं0 2 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड–भिलगना, तहसील–घनसाली के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली–अखोड़ी मोटर मार्ग कि0मी0 14 हुलानाखाल से प्रारम्भ होता है। समरेखण 02 – हुलानाखाल से प्रारम्भ होता है जो आरक्षित वनभूमि टिहरी वन प्रभाग के अन्तर्गत आता है। इस समरेखण में मार्ग की 1700 मी0 लम्बाई आरक्षित वनभूमि टिहरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 900 मी0 लम्बाई सिविल सोयम भूमि उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत एवं 1150 मी0 लम्बाई नाप भूमि ग्राम हड़ियाणा तल्ला के अन्तर्गत आती हैं। इस समरेखण में 5 हेयर पिन बैण्ड एवं 1 आर0सी0सी0 कलवर्ट तथा 1नं0 आर0सी0सी0 माइनर ब्रीज प्रस्तावित हैं। इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में 135 वृक्ष प्रभावित होते है।

तकनिकी एवं भू–वैज्ञानिक दृष्टि से यह संरेखण उपयुक्त नही पाया गया है एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नही मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी अधिक आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रांमवासी, भूमिधर एवं जन प्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं0 2 को निरस्त कर संरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं01 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि प्रस्ताव में संलग्न है) अतः 3.400 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7.00 मीटर चौड़ाई में आ रही 1.080 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.700 हे0 सिविल सोयम भूमि कुल एवं 1.780 हे0 वन भूमि को प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड–1 नई टिहरी	सिंचाई खण्ड–1 नई टिहरी	सिंचाई खण्ड–1 नई टिहरी